



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.05.2025

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त/गैंगलीडर गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.05.2025 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वर्ष 2022 से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गैंगलीडर मोहम्मद चाँद पुत्र तन्जीम को पर्यटन स्थल कोटा झील निकट पत्थर घोडा कोटा सिटी राजस्थान से गिरफ्तार किया गया हैं।

विवरण-- अभियुक्त मोहम्मद चाँद एक सक्रिय गिरोह का गैंगलीडर है व अभियुक्त आरिस इस गैंग का सक्रिय सदस्य है जिनके द्वारा वर्ष 2021 में थाना बीटा-2 क्षेत्र में बर्तन का पाउडर बेचने के बहाने वादी की पत्नी के कानो के कुण्डल गले का पेण्डल लूटे थे। वर्ष 2021 में ही एक घर में दवाई बेचने व इलाज करने के बहाने घर में घुसकर 05 लाख रुपये की ठगी की थी। वर्ष 2022 में अभियुक्त मोहम्मद चाँद व सह अभियुक्त आरिस के विरुद्ध मु0अ0सं0 454/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तभी से अभियुक्त फरार चल रहा था तथा अभियुक्त चाँद की गिरफ्तारी हेतु 25000/- का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त आरिस की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्त का विवरण--

मोहम्मद चाँद पुत्र तन्जीम निवासी भाया की बाडी अन्ता थाना अन्ता दिला बाडा राजस्थान

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-946/21 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 1012/2021 धारा 380/411/420 भादवि थाना बीटा-2 ग्रेनो0 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 454/22 धारा 2बी(1)/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बीटा-2 ग्रेनो0 गौतमबुद्धनगर

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा 01 वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के उपकरण व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.05.2025 को थाना जारचा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त जोगेन्द्र पुत्र समय सिंह को ग्राम छायसा कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मोटर ट्यूबैल चोरी के उपकरण व एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

अभियुक्त द्वारा अपने साथी सतीश पुत्र बीरबल के साथ मिलकर वादी के मोटर ट्यूबैल उपकरण चोरी किये गये थे जिसके संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-87/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। थाना जारचा पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश पुत्र बीरबल को दिनांक 21.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त का विवरण--

जोगेन्द्र पुत्र समय सिंह निवासी इन्द्रगढ़ी, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़ उम्र करीब 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 89/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- मोटर ट्यूबैल चोरी के उपकरण
- 2- एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस